झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका सं० - 1967/2020

प्रमोद कुमार झा ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार, रांची।
3. उपायुक्त, गोड्डा।
4. उप विकास आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, गोड्डा।
5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा। ..... **प्रतिवादी**

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस.एन.पाठक

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री जे.पी. झा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री ऐश्वर्या प्रकाश, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री नेहरू महतो, ए.सी टू एस.सी

09/21.12.2023 पक्षों की सुनवाई हुई।

2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 20.03.2020 (अनुलग्नक-8) के आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसके द्वारा सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता ने इससे पहले डब्ल्यू.पी.(एस) 3528/2017 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दिनांक 09.05.2017 के पूर्व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ-सह-पेंशन देने से इनकार कर दिया था। इस न्यायालय द्वारा उक्त मामले पर विचार किया गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4833/1992 में इस मुद्दे को पहले ही समाप्त कर दिया गया

है, प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें और याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ के साथ-साथ पेंशन लाभ प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में आदेश पारित करें। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपने मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादियों से संपर्क किया, लेकिन प्रतिवादियों ने सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन लाभ बढ़ाने के याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया

अस्वीकृति के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.पी. झा ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि चूंकि इस मामले में शामिल मुद्दे को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही समाप्त कर दिया गया है और एल.पी.ए में इसे चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह अंतिम हो गया है और अब प्रतिवादियों द्वारा इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है। एक बार जब याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ के लिए हकदार माना जाता है तो प्रतिवादियों के लिए केवल तर्कसंगत आदेश पारित करने का विकल्प खुला था और इस मुद्दे को अलग दृष्टिकोण अपनाकर फिर से नहीं खोला जा सकता है कि चूंकि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी नहीं है और वह डी.आर.डी.ए का कर्मचारी है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, इसलिए वह पेंशन लाभ के लिए हकदार नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय पटना उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि यहां तक कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से माना है कि यदि सरकारी कर्मचारी बाद में किसी ऐसे संगठन में तैनात होता है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो उक्त सरकारी कर्मचारी की स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है। चूंकि उक्त मुद्दे पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही फैसला सुना दिया गया है, इसलिए प्रतिवादी कोई भिन्न दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, इसलिए प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और उसे पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील श्री नेहरू महतो ने याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील का

जोरदार विरोध करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता डीआरडीए के तहत काम कर रहा है, इसलिए वह पेंशन लाभ के लिए हकदार नहीं है, क्योंकि डी.आर.डी.ए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और यह एक सरकारी संस्था नहीं है और इस तरह, याचिकाकर्ता को राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, वह पेंशन लाभ के लिए हकदार नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनने के बाद, यह न्यायालय इस विचार पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। रिट याचिका में शामिल मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया गया है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस पर विचार करते हुए एक आदेश पारित किया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 3528/2017 में पारित आदेश में उद्धृत किया गया है। उक्त पैरा को एक बार फिर उद्धृत करना दोहराव के समान होगा, लेकिन यह न्यायालय स्पष्टता के लिए इसे दोहराने और उक्त पैरा को एक बार फिर उद्धृत करने के लिए प्रेरित है:

> **"13.** सवाल यह है कि सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय सेवा अनुबंध का मामला हो सकती है लेकिन नियुक्ति होने के बाद सरकारी कर्मचारी एक दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। यहां याचिकाकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिस तथ्य को प्रतिवादियों ने नकारा नहीं है। एक बार याचिकाकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया तो याचिकाकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लिया है और रोजगार के कार्यकाल के दौरान उक्त दर्जा नहीं बदला जा सकता है और विशेष रूप से इस मामले में जहां याचिकाकर्ताओं की सहमति के बिना ऐसा बदलाव लाया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की स्थिति को सरकारी कर्मचारियों से बदलने का दावा करने वाले प्रतिवादियों की कार्रवाई और याचिकाकर्ताओं को एजेंसी के कर्मचारी के रूप में मानने का प्रतिवादियों का प्रयास पूरी तरह से अनुचित है और कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है।"

7. इस न्यायालय द्वारा भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया तथा एक विशिष्ट निर्देश दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता को सरकारी कर्मचारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था, इसलिए उसे डी.आर.डी.ए का कर्मचारी नहीं कहा जा सकता है तथा वह केवल डी.आर.डी.ए में पदस्थापित था, इसलिए याचिकाकर्ता की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चूंकि याचिकाकर्ता का मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आता है, जिसे कभी भी एल.पी.ए. में चुनौती नहीं दी

गई तथा अंतिम निर्णय प्राप्त हुआ, इसलिए याचिकाकर्ता पेंशन लाभ के लिए हकदार है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों, नियमों, दिशा-निर्देशों और कानूनी प्रस्तावों के अनुक्रम में, दिनांक 20.03.2020 (अनुलग्नक-8) के आरोपित आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सेवानिवृत्ति लाभ-सह-पेंशनरी लाभों के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने/उत्पादन की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इसे बढ़ाएँ।

9. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. एस.एन.पाठक)

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।